भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

छात्रवृत्ति की घोषणा : 2019-20
(मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2019-20 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है।

समय-सीमा	छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण छात्रवृति (वह आवेदक जिसने 2018-19 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	15 अक्तूबर 2019
		I. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं II. मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	31 अक्तूबर 2019

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) का विद्यार्थी हो।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट– **www.scholarships.gov.in** (इस साइट का लिंक **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप–**National Scholarship (NSP)** पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को **31 जुलाई, 2019** तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।

davp 27101/13/0002/1920

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर जाएं।

समाधान हेल्पलाइन (टोल फ्री): **1800-11-2001** (समय सुबह 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुट्टी का दिन छोड़कर)।

Scanned with CamScanner